चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक-23.11.2025 को पुलिस बल का अप्रतिम शौर्य एवं अटूट कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक ''पुलिस झण्डा दिवस'' के अवसर पर पुलिस लाइन चित्रकूट में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा ध्वजारोहण कर पुलिस ध्वज को सलामी दी गयी और क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल द्वारा थाना राजापुर में ध्वजारोहण किया गया । इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना/चौकी में ध्वजारोहण कर पुलिस ध्वज को सलामी दी गयी। बाद ध्वजारोहण अपने अधीनस्थ नियुक्त अधि0/कर्मचारीगणों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के संदेश को पढ़कर सुनाया गया।

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 रामकुमार दुबे व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 669/2025 धारा 105,115(2),352,351(3) भादवि0,3(1)द0ध0 व 3(2)5 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.10.2025 को वादिया श्रीमती बिट्टी देवी पत्नी केवलराम निवासी ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 20.10.2025 को रात 08.00 बजे पति केवलराम को मुकेश पुत्र प्रेमनारायण ने कहा कि मुझे शराब पीने के लिए पानी लाओं तो केवलराम द्वारा मना करने पर मुकेश पुत्र प्रेमनारायण,रोहित तिवारी पुत्र कल्लू, चालू पाण्डेय पुत्र कल्लू व विजय तिवारी उर्फ पहिया पुत्र नन्दकिशोर निवासीगण खोह थाना कोतवाली कर्वी ने गाली गलौज करने लगे, विरोध करने पर लाठी डंडे से केवलराम को मारा पीटा जिससे सर में गम्भीर चोट लगने के कारण बार-बार बेहोश हो जाना तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 669/2025 धारा 110,115(2),352,351(3) भादवि0 व 3(1)द0ध0 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.मुकेश पुत्र प्रेमनारायण 2.रोहित तिवारी पुत्र कल्लू 3. चालू पाण्डेय पुत्र कल्लू पाण्डेय 4.विजय तिवारी उर्फ पहिया पुत्र नन्दकिशोर निवासीगण ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। घायल केवलराम का जिला चिकित्सालय सोनेपुर से प्रयागराज रेफर किया गया था जिनका उपचार स्वरूपरानी हास्पिटल प्रयागराज में चल रहा था दौराने उपचार घायल केवलराम की दिनांक 21.11.2025 को मृत्यु हो गयी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुये धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। मु0अ0सं0 669/2025 धारा 105,115(2),352,351(3) भादवि0,3(1)द0ध0 व 3(2)5 से सम्वन्धित 01 नफर अभियुक्त मुकेश पाण्डेय पुत्र प्रेमनारायण पाण्डेय ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 30 वर्ष को आज दिनांक 23.11.2025 को समय 09.30 AM बजे मुखविर की सूचना पर उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे व उनकी टीम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के आगे गौरी शंकर हार्डवेयर की दुकान के पास पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे चौकी प्रभारी खोह
2.आरक्षी प्रताप

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थाना पहाड़ी की मिशन शक्ति अभियान 5.0' की एण्टीरोमियों टीम द्वारा पति-पत्नी के विवादों/मतभेदों को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया

आवेदिका श्रीमती अंजली पत्नी अमित कुमार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट का अपने पति अमित कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी उपरोक्त से पारिवारिक बातो को लेकर विवाद हो गया था । जिस पर दोनो पक्ष एक दूसरे पर आरोप

प्रत्यारोप लगा रहे थे। दोनो पक्षो परामर्श करते हुए समझाया गया, जिससे दोनो पक्ष संतुष्ट हुए तथा बिना किसी दबाब के सुलह समझौता कर लिए, अंजली द्वारा शान्ति पूर्वक अपने पति अमित कुमार के साथ रहने को तैयार है। एण्टीरोमियों टीम द्वारा परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश यादव

2.महिला आरक्षी सीमा देवी

(5). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी धर्मपाल थाना मऊ द्वारा मु0नं0 819/2016 धारा 323,325 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कालका प्रसाद पुत्र बदलू उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बल्हौरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना कोत0 कर्वी द्वारा मु0नं0 1000/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त कल्लू प्रसाद पुत्र जौहरी प्रसाद निवासी मैनहाई माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री परशुराम पाण्डेय मय हमराह आरक्षी शिवधनी थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 1515/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त दीपक केशरवानी पुत्र बृज मोहन केशरवानी निवासी मझगवां कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी गनीवां मय हमराह राहुल दीक्षित द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 349/2023 एवं 350/2023 धारा 125(3) द0प्र0सं0 के वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र ननकूराम उर्फ चुनकूराम निवासी ग्राम पैकोरा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6) आज दिनांक 23.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित शस्त्रागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शस्त्रों के रख-रखाव, रिकॉर्ड संधारण, सुरक्षा मानकों तथा गोला-बारूद के भंडारण व्यवस्था की विस्तार से जांच की गई। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को शस्त्रों की नियमित सर्विसिंग, समयानुसार अभिलेख अद्यतन रखने तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने शस्त्रागार में साफ-सफाई, सतर्कता एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने पर भी बल दिया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।